राजस्थान सरकार

कार्यालय शासन सचिव वित्त (व्यय) विभाग

क्रमांकः– F.1(246)RGHS/IEC/2025-26/2231 दिनांकः– 24-05-2025

विषयः RGHS लाभार्थियों के लिए IPD/OPD परामर्श प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

जैसा की सभी RGHS लाभार्थियों को अवगत है कि गत कुछ माह से वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा RGHS योजना के तहत गत वर्षों में उठाये गए स्वास्थ्य लाभ के दस्तावेजों की जांच के दौरान अनियमितताएं सामने आयी है, जिनमें काफी संख्या में लाभार्थियों की संलिप्तता भी पायी गई है, इसलिए भविष्य में इस प्रकार की किसी भी समस्या से बचने के लिए आप सभी को निम्नलिखित निर्देशों की पालना करने की सलाह दी जाती है।

1. अस्पताल (सरकारी/निजी अधिकृत) से यह सुनिश्चित कर लें कि IPD/Daycare उपचार की आवश्यकता वास्तविक है।
2. उपचार की अवधि, पैकेज की जानकारी, तथा संबंधित जाँचों एवं दस्तावेजों की जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त करें।
3. IPD/daycare के दौरान की जाने वाली जांच और तैयार किए जाने वाले विभिन्न दस्तावेजों को जरूर देखें, की कहीं, बिना कोई समुचित जांच / एक्स–रे/सीटी स्केन / एमआरआई के मनमाने तरीके से केस तो नहीं बनाए जा रहे है।
4. चिकित्सक को लक्षणों और पिछले इलाज की जानकारी दें, स्वयं से रोग, दवाइयाँ या जाँच लिखवाने का आग्रह न करें।
5. OPD Slip स्पष्ट बनाने हेतु आग्रह करें। OPD पर्ची पर डॉक्टर का नाम, RMC नंबर, हस्ताक्षर एवं मुहर स्पष्ट रूप से होना आवश्यक है।
6. Prescription/OPD Slip केवल आवश्यकता के अनुसार ही अपनी SSO ID से RGHS पोर्टल पर या RGHS Connect App पर अपलोड करें और TID जनरेट करें।
7. अपनी SSO ID तथा उसका पासवर्ड, अपना RGHS कार्ड का नंबर तथा सुविधा के लिए प्राप्त होने वाला OTP, किसी भी अस्पताल या फार्मेसी या अन्य व्यक्ति को बिना पूर्ण जांच के न दें।
8. सुनिश्चित करें की आपके नाम से इनका दुरूपयोग होकर राजकीय राशि न उठायी जा रही हो। बाद में जांच में आपके कार्ड से दुरूपयोग पाये जाने पर आपसे भी नुकसान की वसूली की जा सकती है। अतः सतर्क रहे।
9. OPD पर्ची में दर्ज नाम और कार्ड नंबर देखकर ही दवा प्राप्त करें।
10. OTP केवल अधिकृत दवा वितरक को ही दें।
11. RGHS क्लेम संबंधित IPD/OPD/ फार्मेसी के उपयोग की राशि की सूचना आपके मोबाइल फोन पर SMS के रूप में प्राप्त होने पर उसमें दर्शायी गई राशि का सत्यापन करें। यदि राशि अधिक प्रतीत हो तो 181 पर शिकायत अवश्य दर्ज कराएं।

RajKaj Ref No.: 15489802

12. यह अवश्य जांचे कि फार्मेसी द्वारा आपको दवाएं उतनी ही दी गई है जितनी चिकित्सक द्वारा लिखी गई है।

13. अनावश्यक या अतिरिक्त दवाएं, अथवा अन्य सामग्री के बदले दवा देने का प्रयास/प्रलोभन हो तो 181 पर शिकायत करें।

14. IPD/Daycare/OPD के दौरान लाभार्थी की लाइव फोटो अनिवार्य की गयी है। अतः आप इसमें सहयोग प्रदान करें। क्योंकि अनेक लाभार्थियों द्वारा अपने परिवार के उन सदस्यों को भी लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है जो इस योजना के तहत लाभार्थी नहीं हैं।

15. निकट भविष्य में RGHS योजना के तहत OPD at Residence (OAR) सुविधा को प्रारम्भ किया जावेगा, जिसके अन्तर्गत राजकीय सेवारत / निजी अनुमोदित अस्पताल के चिकित्सक के आवास पर लाभार्थी OPD परामर्श प्राप्त कर सकेगें। अतः नयी व्यवस्था के तहत उन्हें सहयोग प्रदान करें। ताकि घर पर Generate होने वाली OPD, उसके Diagnostic तथा दवाओं के बिल की जानकारी RGHS सिस्टम में प्राप्त कर गलत प्रकार से कार्य करने वालों पर निगरानी रखी जा सके। उक्त परिवर्तन शीघ्र ही प्रारंभ हो जाऐगा। इसलिए इस संबंध में जागरूक होकर कार्य करें।

16. राजस्थान सरकार द्वारा कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ केवल नियमों के अनुकूल ही वास्तविक और अधिकृत लाभार्थियों तक सीमित रहे, यह सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है।योजना की दीर्घकालिकता बनाए रखने हेतु अनुशासन और नियमों का पालन करें।

(नवीन जैन)
शासन सचिव, वित्त (व्यय)